संख्या- 303 /2025/ 2628 /चार-2025-1955039

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर, 2025**

विषय:- आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रम समिति की बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में कलाकारों के मानदेय / संस्था को प्रतिपूर्ति हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1607/सं0नि0-15(06)/2025-26, दिनांक 01 सितम्बर, 2025 एवं पत्र संख्या- 1236/सं0नि0-15(06)/2025-26(2), दिनांक 29 जुलाई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि निदेशालय स्तर पर आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रमों हेतु गठित समिति की दिनांक 09.05.2025 का सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित विवरणानुसार कलाकारों के मानदेय/ संस्था को प्रतिपूर्ति हेतु रू0 5.82 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	विवरण (कार्यक्रम का नाम/स्थान/ प्रयोजन)	कार्यक्रम की तिथि	कलाकार/ संस्था जिन्हें भुगतान किया जाना है	धनराशि मानदेय/ प्रतिपूर्ति
1	संस्कृतिक कार्यक्रम/डी0ए0वी0 कालेज/लखनऊ	28 अप्रैल, 2025	श्री मनमोहन तिवारी, आर्य समाज, लखनऊ	12,000.00
2	लोक गायन/बुद्ध पूर्णिमा/ संत कबीर नगर	12 अप्रैल, 2025	श्री रामहित यादव, गोरखपुर	30,000.00
3	लोकगीत नृत्य/गांधी भवन/ लखनऊ	11 मई, 2025	सुश्री फातिमा जरीन, ए0आई0एम0 वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल सोसाइटी, लखनऊ	20,000.00
4	भजन उत्सव/चिनहट/लखनऊ	20 मई, 2025	सुश्री प्रतिमा सिंह, प्रशान्त एजुकेशनल सोसाई, लखनऊ	30,000.00
5	नाटक/ओमेक्स सिटी/लखनऊ	09 मई, 2025	सुश्री गुंजन जैन, द मॉर्किंग बर्डस, लखनऊ	30,000.00
6	नाटक/बौद्ध शोध संस्थान/ लखनऊ	05 जून, 2025	सुश्री सोनी सिंह, आनन्द अनुभूति वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ	30,000.00
7	नाटक/संगीत नाटक अकादमी/ लखनऊ	28 मई, 2025	सुश्री सरिता यादव, रासरंग सांस्कृतिक शैक्षिक सामाजिक संस्था, लखनऊ	40,000.00

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	नौटंकी/गंगादशहरा/रामघाट/ प्रयागराज	30 मई, 2025	हरिहर गंगा आरती समिति, रामघाट त्रिवेणी प्रयागराज	30,000.00
9	गंगावतरण नृत्य नाटिका/ झूलेलाल वाटिका/लखनऊ	12 मई, 2025	सुश्री नीशू त्यागी, लखनऊ	40,000.00
10	लोक गायन/संत रविदास प्रेक्षागृह /लखनऊ	12 मई, 2025	श्री रामायण राम, लखनऊ	45,000.00
11	लोक गायन/बुद्ध जयन्ती/ महराजगंज	12 मई, 2025	श्री श्याम करन लहरी, महराजगंज	30,000.00
12	लोक गायन/बुद्ध पूर्णिमा/ वाराणसी	12 मई, 2025	सुश्री रीना देवी, वाराणसी	30,000.00
13	लोक गायन/बुद्ध पूर्णिमा/ शाहजहॉपुर	12 मई, 2025	श्री दिनेश कुमार, शाहजहॉपुर	30,000.00
14	कथक नृत्य/बुद्ध दिल्ली/लखनऊ	12 मई, 2025	सुश्री देविका मंगलामुखी, आगरा	40,000.00
15	सांस्कृतिक कार्यक्रम/संस्था स्थापना दिवस/लखनऊ	19 जून, 2025	श्री प्रेम सिंह, देवभूमि वृन्दावन जनसरोकर समिति, लखनऊ	40,000.00
16	लोक गायन/बुद्ध पूर्णिमा/झांसी	12 मई, 2025	श्री अमित अहिरवार, झांसी	30,000.00
17	नाटक 1984 की आग/ रविन्द्रालय प्रेक्षागृह/लखनऊ	01 जून, 2025	एस0एस0जी0के0 वेलफेयर फाउण्डेशन,लखनऊ	40,000.00
18	पारम्परिक लोकोत्सव/गोरखपुर	25 मई, 2025	श्री मनोज मधुर, गोरखपुर	35,000.00
	(रूपये पांच लाख बयासी हजार मात्र)			5,82,000.00

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रमों हेतु गठित समिति की संस्तुति के क्रम में कलाकारों के मानदेय/ संस्था को प्रतिपूर्ति हेतु **रू0 5.82 लाख (रूपये पांच लाख बयासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।